न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजेरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 152/2022/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 4.11.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

शाहबुद्दीन पुत्र रोशन अली जाति मुसलमान निवासी ग्राम खटकड जिला बूंदी –राजस्थान।

...अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बूंदी–राज0।
2. तहसीलदार (राजस्व विभाग) तहसील बूंदी–राज0।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री महेश शर्मा अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 3.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (स्कूल कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम खटखड मे पटवार भवन हेतु खसरा सं0 274 रकबा 0.4451 है0 किस्म नहरी II मे से 0.2023 है0 भूमि राजस्व विभाग (तहसीलदार बूंदी) को आदेश संख्या 562 दिनांक 10.8.2022 से आवंटित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 व धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि जिला कलक्टर बूंदी द्वारा ग्राम खटखड मे पटवार भवन हेतु खसरा सं0 274 रकबा 0.4451 है0 किस्म नहरी II मे से 0.2023 है0 भूमि राजस्व विभाग (तहसीलदार बूंदी) को आदेश संख्या 562 दिनांक 10.8.2022 से आवंटित की गई जबकि उक्त भूमि पर वर्तमान मे अपीलांट काबिज काश्त है। नायब तहसीलदार रायथल ने अपीलांट को नोटिस बावत अतिचार भूमि जारी कर दिनांक 29.8.2022 को मुकाम बूंदी मे उपस्थियात होने के लिए निर्देशित किया था जिससे ही सिद्ध होता है कि वक्त आवंटन उक्त भूमि आवंटन के लिए खाली/उपलब्ध नही थी। ग्राम पंचायत खटकड द्वारा पत्र कमांक 159/2021–22 दिनांक 7.9.2021 से उक्त खसरा नं0 274 की भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटन करने की मांग की थी। उक्त भूमि पर विगत 50 वर्षो से अधिक समय से अन्य व्यक्ति काबिज चले आ रहे थे, उसके बाद अपीलांट निरन्तर काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि पर पक्की बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है जिसे अपीलांट स्वयं के नाम आवंटन नियमन किये जाने की पात्रता रखता है परन्तु राजनैतिक रजिशवश कुल लोग अपीलांट को बेदखल कराना चाहते है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट काबिज है इसलिये अपीलाधीन आदेश से अपीलांट व्यथित पक्षकार है ऐसी स्थिति मे अपील पेश करने की अनुमति व सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सीवीसी के साथ अपील पेश कर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे।

2 अपील पर रेस्पो0 की आपत्ति सुरक्षित रखते हुये दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वह 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त है। मौके पर परिवार सहित ढाणी बनाकर निवास कर रहा है ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त भूमि के आवंटन/नियमन का पात्र होने के उपरांत

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

भी जिला कलक्टर बूंदी ने वादग्रस्त भूमि मौके की स्थिति की जानकारी प्राप्त किये बिना अधिग्रहित करने का आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे अपीलांट के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश न्यायिक आदेश न होकर प्रशासनिक आदेश है। प्रशासनिक आदेश अपील योग्य न होकर पुनरीक्षण योग्य होने से न्यायालय हाजा मे धारा 96 सीपीसी बावत अपील पेश करने की अनुमति का प्रा0 पत्र तथा अपील पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5 हमने जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित आलौच्य जेर अपील आदेश का अवलोकन कर बहस उभय पक्षकार पर मनन किया। जिला कलक्टर बूंदी द्वारा जेरअपील आदेश संख्या 562 दिनांक 10.8.2022 से राजस्थान भू राजस्व (स्कूल कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम खटखड मे पटवार भवन हेतु खसरा सं0 274 रकबा 0.4451 है0 किस्म नहरी II मे से 0.2023 है0 भूमि राजस्व विभाग (तहसीलदार बूंदी) को आवंटित किये जाने से व्यथित पक्षकार होने से यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने के साथ पेश की गई जिस पर रेस्पो0 की आपत्ति सुरक्षित रखते हुये अपील को दर्ज किया जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस उभय पक्षकार सुनी गई।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि पर 50 वर्षो से अपीलांट का कब्जा काश्त होने से वह आवंटन/नियमन का पात्र होने के बावजूद भी जिला कलक्टर बूंदी ने उसको आवंटन/नियमन नही कर जेरअपील आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य होना बताया। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये जाहिर किया कि आक्षेपित आदेश राजस्थान भू राजस्व (स्कूल कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम खटखड मे पटवार भवन हेतु खसरा सं0 274 रकबा 0.4451 है0 किस्म नहरी II मे से 0.2023 है0 भूमि राजस्व विभाग (तहसीलदार बूंदी) को आवंटित की गई है। उक्त आदेश न्यायिक आदेश न होकर प्रशासनिक आदेश है जो अपील योग्य न होकर सक्षम न्यायालय मे पुनरीक्षण योग्य होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 एंव राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत अपील खारिज योग्य है। उभय पक्षकारान के तर्क के संबध मे आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। जिला कलक्टर बूंदी द्वारा जेरअपील आदेश राजस्थान भू राजस्व (स्कूल कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अधीन पारित आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही होकर केवल निगरानी प्रस्तुत की जा सकेगी। राज0 सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा इस संबध मे अधिकार माननीय राजस्व मण्डल को स्थानान्तरित कर दिये है। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर बूंदी के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की है जो उपर्युक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे पोषणीय नही है। राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की प्रथम अनुसूची (धारा 23) "न्यायिक मामलो की सूची" के अनुसार आक्षेपित आदेश न्यायिक आदेश नही है। बल्कि गैर न्यायिक एक प्रशासनिक आदेश है जो पुनरीक्षण योग्य होने से पैरोकार सरकार का उक्त तर्क विधिसम्मत प्रकट होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के संदर्भ मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एंव अपील पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 3.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा